बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०–2/अ0प्र0–1–210/2016 434 /पटना, दिनांक :– 27.2.23

श्री मोतीसागर सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, राजगीर में पदस्थापन अवधि में कुल 47 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद योजनाओं में एकरारनामा के अनुसार अनुरक्षण हेतु राशि की अधियाचना नहीं किये जाने के बिन्दु पर आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3496 दिनांक 28.11.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सिंह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 26.08.2022 में उल्लेख किया गया है कि सूची के क्रमांक 1 से 11 तक कुल ग्यारह योजनाओं का कार्य वित्तीय वर्ष 2008–09, 2010–11 एवं 2011–12 में MMGSY(OLD) एवं शीर्ष 4515 के अन्तर्गत किया गया है। क्रमांक 7 एवं 8 को छोड़कर सभी योजनाओं की पंचवर्षीय मरम्मति कार्य कराया गया है। सभी योजनाओं की मरम्मति पूर्ण के उपरान्त आवंटन की मांग की गई, जिसमें से सात योजनाओं का आवंटन दिनांक 27.10.2016 प्राप्त हुआ। क्रमांक 7 एवं 8 में अंकित योजनाओं से संबंधित संवेदक को डिबार/काली सूची में नाम दर्ज हेतु की गयी अनुशंसा के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा द्वारा अपने पत्रांक 1477 एवं 1476 दिनांक 25.06. 2015 के माध्यम से भेजा गया।

सूची के क्रमांक 12 से 16 तक की योजना वित्तीय 2013–14 एवं 2014–15 से संबंधित है एवं सभी योजनाओं की पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। आवंटन की मांग की गई है।

सूची के क्रमांक 17 से 20 तक की योजना नाबार्ड एवं एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्ण है। क्रमांक 20 को छोड़कर तीनों योजनाओं का पंचवर्षीय कार्य पूर्ण कराया गया है तथा इस कार्यालय के पत्रांक 613 दिनांक 11.07.2016 द्वारा आवंटन की मांग की गई है परन्तु तत्समय तक आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। क्रमांक 20 में अंकित पथ को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई।

सूची के क्रमांक 21 से 47 तक की कुल 27 योजना पी0एम0जी0एस0वाई0 के वित्तीय वर्ष 2012–14 के बैच 2 के अन्तर्गत पूर्ण की गई है। अधिकांश योजनाओं का पंचवर्षीय मरम्मति कार्य किया जा रहा है तथा कुछ योजनाओं का पंचवर्षीय मरम्मति कार्य पूर्ण करा ली गई है। दिनांक 03.02.2017 को सभी कार्य प्रमंडल के योजनाओं की समीक्षा अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, नालन्दा द्वारा की गई। कुल 92 योजनाओं मे से 47 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष पर मरम्मति की जा रही है।

3. श्री सिंह के स्पष्टीकरण की समीक्षा मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि श्री सिंह द्वारा MMGSY(OLD) अन्तर्गत कुल 11 योजनाओं में से 9 योजनाओं का आवंटन विभागीय पत्रांक मु0अ0–4 मु0ग्रा0स0यो0–17–04/09–06–70अनु0 दिनांक 27.10.2016 द्वारा प्राप्त हुआ है। दो संवेदकों श्री विजेन्द्र कुमार सिन्हा एवं श्री संतोष कुमार को पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किए जाने के

कारण डिबार सूची में शामिल करने की अनुशंसा की गयी है। पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथों का भी आवंटन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर के पत्रांक 613 दिनांक 11.07.2016 द्वारा मांग की गयी है। स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा अनुरक्षण कार्य कराकर विभाग से आवंटन की मांग की गयी है एवं अनुरक्षण कार्य नहीं करने वाले संवेदकों पर नियमानुकूल कार्रवाई भी की गयी है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मोतीसागर सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री मोतीसागर सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

22/2/2023
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–210/2016 434 /पटना, दिनांक :– 27.2.23

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री मोतीसागर सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/2023
विशेष सचिव